न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 155/2022

उम्मेद सिह पुत्र श्री रेवन्त सिह जाति राजपूत निवासी पौख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

गजेन्द्र सिह हाल तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

—— अनावेदक

— — —

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

— — —

उपस्थितः—

1. श्री अरविन्द सैनी, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित सेवामें पेश है कि निम्न वर्णित प्रकरण न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष विचाराधीन हैः—

न्यायालय	:— तहसीलदार उदयपुरवाटी
मुकदमा उनवानी	:— सरकार बनाम उम्मेद सिह
मुकदमा नम्बर	:— 11/2021
किस्म मुकदमा	:— 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
तारीख पेशी	:— 11/05/2022

विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अन्तिम निर्णय पारित होने के बाद कुर्की अथवा निलामी बाबत आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को पत्रावली वास्ते जबाब में नियत थी लेकिन उक्त प्रकरण में किसी तरह का कोई आदेश पारित किये बिना न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा निलाम करने बाबत पारित किया गया है जिसका कोई अधिकार न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को नही था तथा उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का अथवा गिरदावर हल्का ने मौके पर नही जाकर अपने कार्यालय में बैठकर दिनांक 21.04.2022 से पूर्व एक रिपोर्ट बाबत कुर्की व निलामी पेश कर दी। प्रार्थी को उक्त निलामी अथवा कुर्की की कोई जानकारी नही थी लेकिन दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी के मातहत पटवारी हल्का ने धमकी दी कि ... प्रार्थी को सुनवाई का कोई मौका नही देकर गलत रूप से प्रार्थी के रहवासी मकान ... ने दिनांक 29.04.2022 को तहसील कार्यालय में आकर नकल हेतु आवेदन करके दिनांक 02.05.2022 को नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रकरण में गलत रूप से दिनांक 08.04.2022 को कुर्की व निलामी बाबत आदेश ... किया गया है, जिस पर दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार में आकर रीडर से ... कार्यवाही को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होने प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

धमकी दी कि उन्हे पीठासीन अधिकारी की तरफ से निर्देश है कि आगे जल्दी ही प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विपरीत करेगा तथा गलत रूप से प्रार्थी के रहवासी मकानात को तोडेगा तथा इसके आगे प्रार्थी को कोई जानकारी प्रार्थी को नही दे रहा है, जिससे पीठासीन अधिकारी पर प्रथम दृष्टया रूप से शीघ्र प्रार्थी के विपरीत निर्णय करने के लिए राजनैतिक दबाव साबित है। दिनांक 28.04.2022 को प्रार्थी को अप्रार्थी के मातहत पटवारी हल्का ने ग्राम में धमकी दी है कि उन पर राजनैतिक दबाव है तथा राजनैतिक दबाव के तहत पीठासीन अधिकारी/अप्रार्थी इस प्रकरण का फैसला बिना प्रार्थी को सुने उनके विपरीत करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है, पीठासीन अधिकारी का रवैया साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में राजनैतिक प्रभाव में आकर प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करेगे, अगर उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध फैसला होता है तो वह कानून के खिलाफ होगा तथा आवेदक के हक हकुक प्रभावित होगे, आवेदक को निष्पक्ष न्याय का कानूनी अधिकार प्राप्त है, उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के तहत प्रार्थी के विरूद्ध फैसला देगा, इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायालय के अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिह मुकदमा नम्बर 11/2021 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्रांक 355 दिनांक 11.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी ने ग्राम पौंख के ख0न0 1702 रकबा 16.93 है0 किस्म गै0मु0 पहाड के 0.20 है0 भूमि पर पक्का मकान व फसल काश्त करके व अतिक्रमण किया हुआ था जिसके विरूद्व पटवारी हल्का पौंख ने दिनांक 05.08.2021 को अतिक्रमी श्री उम्मेद सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी पौंख के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी मे मुकदमा नं0 11/2021 दर्ज कर अतिक्रमी के ख्लिाफ 07.09.2021 को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा 07.09.2021 को तारीख पेश नोटिस अतिक्रमी को तामिल हेतु जारी किया गया। मौके पर प्रार्थी ने उक्त रकबे के आंशिक भाग पर 11–12 मकानों की हवेली तथा शेष भाग पर फसल काश्त की हुई है। उक्त मकानों मे प्रार्थी निवासरत है। प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी व राजनैतिक दबाब नही दिया गया है तथा अतिक्रमित भूमि की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा आगामी तारीख पेशी 12.07.2022 जैराकार है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अन्तिम निर्णय पारित होने के बाद कुर्की अथवा निलामी बाबत आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को पत्रावली वास्ते जबाब में नियत थी लेकिन उक्त प्रकरण में किसी तरह का कोई आदेश पारित किये बिना न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा निलाम करने बाबत पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का अथवा गिरदावर हल्का ने मौके [illegible] अपने कार्यालय में बैठकर दिनांक 21.04.2022 से पूर्व एक रिपोर्ट बाबत कुर्की व निलामी [illegible] प्रार्थी को उक्त निलामी अथवा कुर्की की कोई जानकारी नही थी लेकिन दिनांक 28.04.2022 को [illegible] मातहत पटवारी हल्का ने धमकी दी कि जल्दी ही प्रार्थी को सुनवाई का [illegible] प्रार्थी के रहवासी मकानात को तोडा जायेगा। पीठासीन अधिकारी पर [illegible] प्रार्थी के विपरीत निर्णय करने के लिए राजनैतिक दबाव साबित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम उम्मेद

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

सिह मुकदमा नम्बर 11/2021 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किया जाना प्रार्थनीय है।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 11/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिंह किस्म मुकदमा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से तहसीलदार गुढागौडजी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी मुकदमा संख्या 11/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिंह किस्म मुकदमा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु तहसीलदार गुढागौडजी के न्यायालय में दिनांक 10.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested